स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

दिनांक 22.08.2013 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 88वीं बैठक की कार्यवृत्त

निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1.	प्रोफेसर अनिल कुमार दाहमा, कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	श्री संतोष कुमार सहारण, माननीय विधायक	सदस्य
3.	डॉ० पी०एम० सालीमथ, विशेषाधिकारी, कृ०विज्ञान विश्वविद्यालय, सिवामोगा	सदस्य
4.	डॉ० एस०के० शर्मा, निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	सदस्य
5.	डॉ० गोविन्द सिंह, निदेशक अनुसंधान	सदस्य
6.	डॉ० पी० पुण्डीर, निदेशक, पी०एम०एण्ड ई०	सदस्य
7.	डॉ० एस० गंगोपाध्याय, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर शिक्षा	सदस्य
8.	श्रीमति अदिति माथुर, सहायक आचार्य	सदस्य
9.	श्री कृष्ण कुमार, संयुक्त निदेशक (कृषि) बीकानेर प्रतिनिधि आयुक्त कृषि	सदस्य
10.	श्री जे०पी० स्वामी, वित्त नियंत्रक एवं कुल सचिव	**सदस्य सचिव**

डॉ० (श्रीमति) नूरजहाँ एन० गनिहार, डॉ० के०एम०एल० पाठक, डॉ० राजेश शर्मा, डॉ०एम०एल० रेगर, प्रमुख शासन सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं प्रमुख शासन सचिव (पशु पालन) प्रबंध मण्डल की बैठक में भाग नही ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया साथ ही नये मनोनीत सदस्य श्रीमति अदिति माथुर, सहायक आचार्य, का स्वागत किया व डॉ० वाई० सुदर्शन, डॉ० (श्रीमति) मधु शर्मा द्वारा प्रबन्ध मण्डल में दी गई सेवाओं की सराहना की गई । कुलपति महोदय ने भी माननीय विधायक श्री संतोष कुमार सहारण, डॉ० पी०एम० सालीमथ, विशेषाधिकारी एवं कुलाधिपति द्वारा मनोनित सदस्य, डॉ० एस०के० शर्मा, निदेशक एवं भा०कृ०अनु०परि० द्वारा मनोनित सदस्य एवं माननीय प्रबन्ध मण्डल सदस्यों का स्वागत किया ।

2013-014

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम—88/ 2013-4/1229	**87वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 28.06.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 87वीं विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 28.06.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम—88/ 2013-4/1230	**87वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 28.06.2013 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 87वीं विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 28.06.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम—88/ 2013-4/1231	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश की पुष्टि करने बाबत् ।** 1. **अधिसूचना क्रमांक प. 4(24)/एसकेराकृवि/ नियुक्ति/ 2013/226 दिनांक 24.05.2013.** 2. **अधिसूचना क्रमांक प. 4(24)/एसकेराकृवि/ नियुक्ति/ 2013/ 227 दिनांक 24.05.2013.** 3. **आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्थापना/ ग्रुप-I/2013/ 5206 दिनांक 23.07.2013** 4. **आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्थापना/ ग्रुप-I/2013/ 5207 दिनांक 23.07.2013** 5. **आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्थापना/ ग्रुप-I/2013/ 5208 दिनांक 23.07.2013** 6. **आदेश क्रमांक प. /एसकेराकृवि/स्थापना/ ग्रुप-II/2013/ 822 दिनांक 29.06.2013** 7. **आदेश क्रमांक प. /एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-II/2013/ 821 दिनांक 29.06.2013** यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेशों की पुष्टि निम्न के साथ की जाती है :- 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 660/स्वाकेराकृवि/ स्थापना/ग्रुप-2/ 13/822 दिनांक 29.06.2013 एवं आदेश क्रमांक प. /स्वाकेराकृवि/ स्थापना/ग्रुप-2/13/821 दिनांक 29.06.2013 की पुष्टि की जाती है तथा राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये प्रेषित कर दिया जावें ।
स्वाकेराकृवि/बोम—88/ 2013-4/1232	**विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के पुनः पेंशन विकल्प पर विचार करनें बाबत्।** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के पुनः पेंशन विकल्प का मौका दिया जावें तथा इस प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर लागू की जाये ।

<table>
<tr><td>स्वाकेराकृवि/बोम—88/
2013-4/1233</td><td>सेवाकाल के अन्तर्गत पी०एच०डी० के दो अग्रिम वेतन वृद्वियॉ देने के संदर्भ में।

यह पारित (Resolved) किया गया कि सेवाकाल के अन्तर्गत पी०एच०डी० के दो अग्रिम वेतन वृद्धियॉ देने के प्रकरण का विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षण कर संबंधित नियंत्रण अधिकारी यथा अधिष्ठाता/निदेशक अपने स्तर पर अग्रिम वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किए जाते है ।</td></tr>
<tr><td>स्वाकेराकृवि/बोम—88/
2013-4/1234</td><td>विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक व वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आधार पर पदौन्नति का लाभ दिये जाने बाबत् ।

यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक व वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के आधार पर पदौन्नति का लाभ दिये जाने के संबध में विश्वविद्याल द्वारा निम्न समिति का गठन कर समिति की अनुशषांनुसार राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् लागू किया जावें :-

<table>
<tr><td>1.</td><td>डॉ० गोविन्द सिंह, निदेशक अनुसंधान</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>डॉ० पी० पुण्डीर, निदेशक, पी०एम० एण्ड ई०</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>डॉ० आई०जे० गुलाटी, क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निदेशक, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा नोमित सदस्य</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>श्री जे०पी० स्वामी, वित्त नियंत्रक</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>स्वाकेराकृवि/बोम—88/
2013-4/1235</td><td>वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष कर्मचारी जिन्हें वर्दी दी जा रही है को वर्दी का नकद भुगतान करने बाबत् ।

यह पारित (Resolved) किया गया कि वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी एवं समकक्ष कर्मचारी जिन्हें वर्दी दी जा रही है को वर्दी का नकद भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।</td></tr>
<tr><td>स्वाकेराकृवि/बोम—88/
2013-4/1236</td><td>वर्ष 2012 में चयन मण्डल द्वारा चयनित प्रोफेसरों को कैरियर एडवान्समेंट योजना 2000 एवं 2010 के अन्तर्गत पात्रता तिथि से प्रोफेसर का वेतनमान स्वीकृत करने बाबत् ।
यह पारित (Resolved) किया गया कि वर्ष 2012 में चयन मण्डल द्वारा चयनित प्रोफेसरों को कैरियर एडवान्समेंट योजना 2000 एवं 2010 के अन्तर्गत पात्रता तिथि से प्रोफेसर का वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशषांनुसार लाभ स्वीकृत कर दिया जावें ।</td></tr>
</table>